Online Registration for Allotment

Housing & Urban Planning Department, U.P.

Registration Form

Development Authority *	**Moradabad Development Authority**
Scheme Name*	<—Select—>
Approx. Cost of Flats/Plot (Rs.)*	
Registration Money (Rs.)*	
Form Charges (Rs.)*	
Applicant Name *	
Father/Spouse Name *	
Applicant DOB(DD/MM/YYYY)*	DD/MM/YYYY
Postal Address*	
Permanent Address*	☐ Same as postal Address
Mobile No.*	
Email ID*	
Marital Status	<—Select—>

Save & Next

Monday, 18 Sep, 2023 10:39:11 AM

Welcome Mrs. (Applicant)

Online Registration for Allotment

Housing & Urban Planning Department, U.P.

Home | Registration Status | Registration Form | Change Password | Logout

Registration Form

Development Authority * — **Moradabad Development Authority**

Bank Details for refund

IFSC Code*	
Bank Account No.*	
Bank Name*	
Bank Branch*	
Account Type*	<—Select—>

Payment Type * — Payment in Installmen

Back | Save & Next

Design & Developed by Computer Kendra through UPDESCO

Online Registration for Allotment

Housing & Urban Planning Department, U.P.

Registration Form

Development Authority *	**Moradabad Development Authority**	
Photo of Applicant*	Browse No file chosen	View
ID Proof	Browse No file chosen	View
PAN card	Browse No file chosen	View
Affidavit*	Generate	View
Photo copy of cancelled cheque	Browse No file chosen	View
Income Proof*	Browse No file chosen	View

Please tick for Vertical reserved category & enclose the certificate

General	☑		
S.C.	☐	Browse No file chosen	View
S.T.	☐	Browse No file chosen	View
O.B.C.	☐	Browse No file chosen	View

Please tick for Horizontal reserved category & enclose the certificate

M.P/M.L.A	☐	Browse No file chosen	View
GOVT. EMPLOYEE(Above 50 yrs)	☐	Browse No file chosen	View
LOCAL BODY EMPLOYEE	☐	Browse No file chosen	View
EX-ARMYMAN & THEIR DEPENDANT	☐	Browse No file chosen	View
PARAMILITARY FORCES	☐	Browse No file chosen	View
DIFFERENTLY ABLED	☐	Browse No file chosen	View
SENIOR CITIZEN	☐	Browse No file chosen	View

Back Submit

ई–नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु संक्षिप्त शर्तें:–

1. इच्छुक व्यक्ति/संस्था ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु प्राधिकरण के ई–नीलामी पोर्टल https://public.erpupda.com को अपने कम्प्यूटर के ब्राउजर पर https://public.erpupda.com पर टाइप कर क्लिक करेंगे, जिस पर मुख्य पेज प्रदर्शित होगा। मुख्य पेज पर ही ई–नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में ट्रेनिंग एवं जानकारी के लिए विवरण को क्लिक करने पर सभी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ई–नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों एवं शर्तों इत्यादि को डाउनलोड करके समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदक ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक है, तो सर्वप्रथम विवरण पुस्तिका को पोर्टल से क्रय करके ही पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात ही ई–नीलामी हेतु पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
2. पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यू.पी.आई. एवं आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की जायेगी।
   नोटः–
   - ❖ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से पंजीकरण धनराशि के भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे से चालान प्रिंट करते हुए सम्पत्ति के सापेक्ष देय पंजीकरण धनराशि चालान में अंकित खाता संख्या एवं बैंक नाम से भुगतान करना होगा।
   - ❖ यदि आई.सी.आई.सी.आई पेमेंट गेटवे में किसी भी प्रकार की असुविधा है तो टोल फ्री नम्बर 18601206699 अथवा +91–9324971958 एवं ई–मेल rishab.ja@icicibank.com अथवा cmssupport@icicibank.com पर सम्पर्क करें।
   - ❖ प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad@up.gov.in पर स्थित लिंक से भी ई–नीलामी पोर्टल पर जा सकते हैं।
3. ई–नीलामी हेतु पोर्टल https://public.erpupda.com से ही नियम एवं शर्तों की पुस्तिका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं यू.पी.आई. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात क्रय की जायेगी।
4. पंजीकरण के समय पंजीकरण धनराशि जमा करने से पूर्व पोर्टल पर आवेदक द्वारा समस्त व्यक्तिगत जानकारी यथा नाम, जन्मतिथि, ई–मेल, फोन नम्बर सही भरेंगे तथा आधार काड, पैन कार्ड, फोटो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। आवंटन के समय कोई जानकारी/प्रपत्र असत्य/कूटरचित पाये जाते हैं, तो पंजीकरण धनराशि जब्त कर, आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।
5. ई–नीलामी हेतु प्रस्तावित आवासीय, व्यवसायिक एवं स्कूल भूखण्ड सम्पत्ति "जहां हैं–जैसे हैं" के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। ई–नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित होने तथा ई–नीलामी पोर्टल पर प्राधिकरण का ऑफर प्रदर्शित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। उच्चतम बोली प्राप्त होने अथवा आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त आवेदक का सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार की कमी का उल्लेख करना मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेतागण समय–समय पर किसी भी ऑफर को देखने हेतु उक्त पोर्टल पर लॉगिन करते रहें, जिससे उपलब्ध सम्पत्तियों की जानकारी एवं किसी भी शर्त में संशोधन का भी संज्ञान हो सके।
6. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
7. सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली आरक्षित **दर/मूल्य के ऊपर 1%** के अन्तर पर होगी जो ई–नीलामी प्रक्रिया में स्वतः दिखेगा।
8. सम्पत्ति की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुये **अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 03 (तीन) मासिक ब्याज रहित किस्तों में** अथवा MCLR+3.5 प्रतिशत (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 08 (आठ) त्रैमासिक किस्तो में देय

होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तो में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 02 (दो) प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

9. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष उच्चतम बोली की अवशेष राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के पश्चात एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा किया जाता है तो **सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी,** जिसे अन्य शुल्कों में निबन्धन से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
10. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 780/आठ–1–9/2009 दिनांक 27, फरवरी, 2009. के क्रम में रोड़ शुल्क, पार्क शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र कॉर्नर शुल्क (10 प्रतिशत) देय होगा एवं फ्री–होल्ड/लीज रेंट शुल्क (12/10 प्रतिशत), विलेख, सीवर वाटर कनैक्शन शुल्क अतिरिक्त देय होंगे।
11. सम्पत्ति जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर अनुरक्षण/रख–रखाव शुल्क जो प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत हैं, देय होगा। वर्तमान में यह दर रू0 5.13 प्रति वर्ग मीटर है तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है।
    - ❖ रिक्त सम्पत्तियों पर जिनके द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु निर्माण कार्य नहीं किया गया है, के प्रकरणों में 25 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क देय होगा। निर्मित भवन/निर्मित भूखण्ड पर यह शुल्क 100 प्रतिशत देय होगा। अनुरक्षण शुल्क की देयता आवंटन पत्र में निर्धारित अन्तिम किश्त की तिथि के अगले दिवस से अरोपित होगा।
12. सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कर नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आदि आवंटी द्वारा देय होंगे।
13. आवंटित सम्पत्ति पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से सम्पत्ति का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
14. किसी भी प्रकार की देयता शेष रहने तथा आवंटी द्वारा जमा न कराये जाने पर उक्त धनराशि को प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–40 के तहत भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी, जिसमें नीलामीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
15. सम्पत्ति का कब्जा विक्रय पत्र के निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
16. आवंटित सम्पत्ति पर प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण अनुमन्य होगा एवं निर्माण सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगीं।
17. **आवंटित सम्पत्ति के लिए भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं ऊंचाई मानचित्र स्वीकृति के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही अनुमन्य होंगे।**
18. ई–नीलामी प्रक्रिया में पंजीकरण करते ही स्वतः यह मान्य होगा कि आवेदक द्वारा सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है तथा उसे सभी शर्तें मान्य हैं।
19. स्थल पर पैमाइश के समय यदि क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत बोली की दर से जमा करनी होगी एवं कमी होने पर अतिरिक्त जमा धनराशि का समायोजन आवेदक द्वारा देय धनराशि में से करते हुये यदि कोई धनराशि अवशेष होती है, तो आवंटी को बिना ब्याज के रिफण्ड कर दी जायेगी।
20. किसी भी ई–नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
21. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किश्तों के भुगतान की निर्धारित तिथि से पूर्व सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक

पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

22. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किश्तों के भुगतान की निर्धारित तिथि के पश्चात सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 30 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

इस प्रकार शर्त सं0 21 एवं 22 में वापस की जाने वाली धनराशि पर कोई ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।

23. आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने उन्हें डिफाल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त करने के उपरान्त **प्रस्तर 22** के अनुसार पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुय एवं सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि में तद्नुसार कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगा।
24. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख/लीज डीड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
26. किसी भी सम्पत्ति की ई–नीलामी तभी प्रारम होगी जब न्यूनतम तीन बोलीदाताओं द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा।
27. ई–नीलामी हेतु निर्धारित अवधि अथवा विड करने की तिथि एवं समय से पूर्व पंजीकरण धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो, आवेदक नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
28. यदि ई–नीलामी प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित समापन समय की समयावधि पूर्ण होने के अन्तिम पांच मिनट में किसी ई–नीलामीदाता द्वारा विड की जाती है, तो ई–नीलामी का समय 05 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा तथा यह प्रक्रिया नीलामी के पूर्ण होने तक चलती रहेगी।

सचिव **उपाध्यक्ष**